BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 29 जनवरी, 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि धर्मेन्द्र पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम बिगराऊ थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में थाना स्याना क्षेत्र निवासी नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की नियत से हमला करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21.04.2017 को थाना स्याना पर मुअसं- 110/2017 धारा- 376,307 भादवि व 5आर/6 पॉस्को एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.07.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 29.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र को 20 वर्ष का कारावास व 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री तरूण कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर